न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 08/2023
प्रार्थी :-

1. कालूराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. भूण्डाराम
   1ए- महावीर पि. नारायणराम पुत्र भूराराम
2. भेराराम पुत्र भूराराम जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. भूण्डीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. जहूर मोहम्मद पुत्र इस्माईल खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री डी डी रामावत एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 5-सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांकः-** 3/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम पिचियाक का निवासी काश्तकार है। जहां ग्राम पिचियाक में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 335 रकबा 2.1600 हैक्टयर आई हुई है। जिसके उतर में अप्रार्थी सं. 1 से 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 333 आई हुई है। पूर्व में अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 339 व अप्रार्थी सं. 4 की खातेदारी भूमि खसरा 340 आई हुई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में वक्त बंदोबस्त से काबिज है तथा मौके पर प्रार्थी के खातेदारी भूमि की मेंडे वक्त बंदोबस्त से पुरातन समय से कायम है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की उतरी व पूर्वी माठ के साथ तोड फोड कर मौके से मुटाम नदारद कर दिये, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 5 के यहा अपनी भूमि की पैमाईश हेतु आवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी सं. 5 ने दिनांक 21.11.2022 को भूमि की पैमाईश हेतु आदेश जारी किया, जिसकी पालना में हल्का पटवारी पिचियाक एवं भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक द्वारा दिनांक 16.01.2023 को मौका मुआयना किया जिसमें अप्रार्थी सं. 5 के अधीनस्थकर्मियों से अप्रार्थीगण ने मिलीभगत कर मौका रिपोर्ट में नाप इत्यादि तक अंकित नहीं किये एवं आदेश की पालना नियमानुसार नहीं की न मौके पर मुटाम कायम करवाये, जिसके चलते प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 335 की उतरी व पूर्वी माठ के संबंध में सही मुटाम कायम नहीं किये जा सके, जिसके चलते प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के मध्य सीमा बाबत सदभावी विवाद है। जिसके चलते अप्रार्थीगण ने मौके पर कायम पुरातन मुटाम को नदारद कर दिया एवं आये दिन प्रार्थी की दोनों माठों को उतरोतर प्रार्थी के खेत में सरकाकर हर कृषि वर्ष प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण करने की फिराक में रहते है, जिसके चलते मौके पर पडौसी पक्षकारान के साथ कभी भी लडाई झगडा होने क प्रबल संभावना है। अप्रार्थीगण स्वयं द्वारा अलग से पैमाईश करवाने की जिद पर अडे है एवं प्रार्थी के द्वारा करवाये गये सीमाकंन कार्य से असंतुष्ट है एवं मौके पर मुटाम को एलानिया इन्कार कर दिया है जिस पर प्रार्थी के समक्ष श्रीमान के यहां

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अप्रार्थीगण न तो अपनी जमीन का सीमाकंन करवाने हेतु सहमत है न प्रार्थी के द्वारा सीमाकंन करवाये जाने में सहयोग कर रहे है तथा मौके पर सीमाकंन की आड में विवाद पर अडें है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पिचियाक स्थित प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 335 के संबंध में सीमाकंन करवाया जाकर पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी सं. 5 को आदेशित किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 4 को उपस्थित होने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं. 5 सरकारी पेरोकार का द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम पिचियाक के खसरा नंबर 335 के तरमीम शुद्धि के लिए राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा अनुतोष में राजस्व ग्राम पिचियाक के खसरा नंबर 335 के सीमाकंन व पत्थरगढी का निवेदन किया गया हैं जो कि आपस में विरोधाभास है। प्रार्थी द्वारा डाक टिकिट धारा 131 को मानते हुए एक डाक टिकिट लगाया गया है जबकि सीमाकंन व पत्थरगढी के अनुतोष के लिए अपर्याप्त डाक टिकिट है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुरूप/सुसंगत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा